राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक प.1(8) वित्त/साविलेनि/2011

जयपुर, दिनांक : 21.12.2012
परिपत्र संख्या : 38/2012

परिपत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) राजस्थान राज्य विधान सभा द्वारा पारित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लोक उपापन से संबंधित मामलों की प्रविष्टि हेतु राज्य लोक उपापन पोर्टल (State Public Procurement Portal) (http://sppp.raj.nic.in) स्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम, तत्संबंधी नियमों एवं मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन सूचनाओं को पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है।

राज्य सरकार के समस्त विभागों, संगठनों, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, सोसायटी, न्यास, स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कोई निकाय दिनांक 01 जनवरी, 2013 से अधिनियम की धारा 17 में उल्लिखित समस्त सूचनाएँ पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें। सूचनाओं को अपलोड करने हेतु सभी विभागों, संगठनों से नोडल अधिकारी की सूचना फॉर्म संख्या sppp/02 में चाही गई है। नोडल अधिकारियों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड विभाग द्वारा जारी किया जायेगा। संबंधित विभाग अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों से sppp/03 में सूचना एकत्रित कर उन्हें यूजर आईडी एवं पासवर्ड आवंटन का कार्य संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा किया जाना है।

अतः संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि यूजर आईडी एवं पासवर्ड आवंटन का कार्य दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण किया जाकर दिनांक 01 जनवरी, 2013 से अनिवार्य रूप से सूचनाएँ पोर्टल पर प्रकाशित की जावे।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।

(उर्मिला जोशी)
संयुक्त सचिव